

स0स0 14 /एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पत्न तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनीष कुमार पिता- गजबदन यादव ग्राम+पो०- कौशलपुर थाना- अमरपुर जिला- बाका सीएमसी न०- एजी 37385	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	चदन कुमार सिंह पिता- लक्ष्मी नारायण सिंह ग्राम- कुमारपुर बालुटोला पो०- कुमारीपुर थाना- मनिहारी जिला- कटिहार सीएमसी न०- एआई 97186	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	बिन्दु देवी पति- मणि शंकर कुमार ग्राम+पो०- लालबिगहा थाना- काशीचक जिला- नवादा सीएमसी न०- एडी 47506	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	शिव कुमारी पति- रामाश्रय यादव ग्राम+पो०- बैधनाथपुर थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर सीएमसी न०- एके 13273	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	कुशुम देवी पति- पीटू सिंह ग्राम+पो0- सोनियावाँ थाना- तेल्हारा जिला- नालदा सीएमसी न0- एके 07856	कैसर रोग	2,20,000	दो लाख बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	सतोष कुमार पिता- अशोक कुमार साह ग्राम- भैरोपुर पो0- बैसाढ थाना- कुमारखड जिला- मधेपुरा सीएमसी न0- एआई 90105	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	शम्स रजा पिता- बसीम रजा ग्राम- इस्लामपुर पो0- पीरपैती बाजार थाना- पीरपैती जिला- भागलपुर सीएमसी न0- एके 27880	कैसर / ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	बेबी दीपिका पिता- प्रिस कुमार ग्राम- पजाबी मार्केट पी पी रोड बक्सर पो0- बक्सर थाना- मोडल जिला- बक्सर सीएमसी नं0- एआई 59815	Anorectal Malformation (Low)	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	मो0 शमीम आजाद पिता- मो0 अब्बास ग्राम- मकर कुशहा पो0+थाना- मकर जिला- सारण सीएमसी न0- 758069 पी	पोस्ट किडनी ट्रांसप्लाट	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
10	परमा रबिदास पिता- खगो रविदास ग्राम+पो0- सिमुआरा थाना- टिकारी जिला- गयाजी सीएमसी न0- एके 32659	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
			15,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,20,000/- (पन्द्रह लाख बीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 197000 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-36889551846, खाता धारक

का नाम— C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस0बी0आई0, शाखा का नाम—भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड स0—SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता ।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2772 (14)

पटना, दिनांक 25/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 197000 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख